परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था
(परमाणु ऊर्जा विभाग का स्वायत्त निकाय, भारत सरकार)
केन्द्रीय कार्यालय, वेस्टर्न सेक्टर, प.ऊ.कें.वि.-6, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094
ATOMIC ENERGY EDUCATION SOCIETY
(An Autonomous Body under Department of Atomic energy, Govt. of India)
Central Officer, Western Sector, AECS-6, Anushaktinagar, Mumbai-400094

प.ऊ.शि.सं./हिंदी प्रोत्साहन योजना/2022/1769 दिनांक: 10.03.2022

विषय: "परमाणु ऊर्जा राजभाषा कार्यान्वयन योजना (अटॉलिस)" के संबंध में।

परमाणु परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था के पदाधिकारियों के लिए पूर्व में जारी सरकारी काम हिंदी में करने की तीनों प्रोत्साहन योजनाओं का अधिक्रमण करते हुए **"परमाणु ऊर्जा राजभाषा कार्यान्वयन योजना (अटॉलिस)"** के अंतर्गत निम्नलिखित तीन योजनाएं लागू की जाती हैं:

1. सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग हेतु प्रोत्साहन योजना
2. हिंदी में टंकण करने हेतु प्रोत्साहन भत्ता योजना
3. हिंदी में डिक्टेशन देने हेतु प्रोत्साहन भत्ता योजना

उपर्युक्त तीनों योजनाओं के नियम एवं शर्तें परमाणु ऊर्जा विभाग के परिपत्र दिनांकित 20 मार्च, 2019 में यथावर्णित लागू होंगे। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत संबंधित वर्ग में दावा करने के लिए अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में संबंधित विद्यालय/अनुभाग प्रमुख के माध्यम से तिमाही समाप्ति से एक माह के अंदर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुंबई को भेजें। प्राप्त दावों का मूल्यांकन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के तहत परिणाम घोषित किए जायेंगे।

विद्यालय/अनुभाग प्रमुख कृपया अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने और इस योजना में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित व प्रोत्साहित करें।

संलग्नक- परिपत्र और दावा प्रपत्र

प. लाहिरी

(पी. लाहिरी)
सचिव, परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था

सभी प्रधानाचार्य, परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय
सभी प्रमुख, केंद्रीय कार्यालय के अनुभाग, प.ऊ.शि.सं.

प्रतिलिपि,

1. अध्यक्ष का कार्यालय, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प.ऊ.शि.सं., मुंबई
3. प्रधानाचार्य एवं प्रमुख, शै.इ., प.ऊ.शि.सं., मुंबई